तनकी पर्चा के बिन्दु संख्या 11 के अनुसार आया दावा वादी मिसज्योइंडर (कुसंयोजित) एवं नोन ज्योइंडर (असंयोजन) के दोष से ग्रसित होने के कारण दावा खारिज किये जाने योग्य है।

बहस अंतिम सुनी गई। विद्वान वकील (प्रतिवादीगण) तनकी में अपने तथ्यों को साबित करने में असमर्थ रहे। **"धारा 5(25) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत नाबालिग की भूमि पर किसी भी व्यक्ति द्वारा काश्त की जावे तो नाबालिग की मानी जायेगी। मंदिर मूर्ति एक शाश्वत नाबालिग है, जिसकी भूमि पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा काश्त होने पर भी कब्जा मंदिर मूर्ति का ही माना जायेगा।"** अतः पत्रावली के अवलोकन एवं उभयपक्षो की बहस पर मनन के पश्चात् हम दावा स्वीकार किये जाने योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:आदेश:–

दावा वादी स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 592, 593, 632, 1707, 1728, 1893, 1950, 1951, 2215, जिसके नये खसरा नम्बर 49, 51, 52, 1463, 1464, 2587, 2588, 2589, 2590, 2592, 2926, 3108, 3127, 3106/5413, 3776, 3779 कुल किता पुराने 10 रकबा 57 बीघा 12 बिस्वा कुल नये किता 16 रकबा वाके ग्राम ईसरदा व वाके ग्राम चौकडी भूमि मंदिर माफी की भूमि है। मंदिर मूर्ति विराजमान श्री रघुनाथ जी महाराज विराजमान ग्राम ईसरदा की खातेदारी भूमि है एवं प्रतिवादीगण एक लगायत 23 को बेदखल किया जाकर स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादी की उक्त आराजीयात के कब्जे काश्त में कोई बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करें और न ही किसी अन्य दीगर व्यक्ति से करावें। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 05.01.2024 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली ल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(उपेन्द्र कुमार शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा